



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082022-238315
CG-DL-E-23082022-238315

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3783]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 2022/भाद्र 1, 1944

No. 3783]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2022/BHADRA 1, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2022

का.आ. 3957(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (a) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार सड़क परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है और महाराष्ट्र राज्य में ग्रीनफील्ड राजमार्ग(राजमार्ग अहमदनगर से शुरू होता है जो बीड, उस्मानाबाद और सोलापुर को जोड़ता है और महाराष्ट्र राज्य में अक्कलकोट-कर्नाटक सीमा पर समाप्त होता है।3168(अ) दिनांक 11 जुलाई 2022, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) दिनांक 11 जुलाई 2022 अधिसूचना का शुद्धिपत्र अर्थात:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूचि में-

i) अनुसूचि में जिला अहमदनगर तालुका अहमदनगर के सामने स्तंभ (7) प्रविष्ट (5)“मददगाओं” के स्थान पर (5)“मदडगाव”, (6)“भतोडि पारगाव” के स्थान पर (6) “भातोडी पारगांव”, एवं (7)“चिचोंडी पाटिल” के स्थान पर (7)“चिचोंडी पाटील” अंतस्थापित की जाएगी।

ii) अनुसूचि में जिला अहमदनगर तालुका जामखेड के सामने स्तंभ (7) प्रविष्ट (5)“दिसलेवाडी” के स्थान पर (5)“डिसलेवाडी” एवं (12)“पोटेवाडी” के स्थान पर (12)“पोतेवाडी” अंतस्थापित की जाएगी।

iii) अनुसूचि में जिला बीड तालुका आष्टी के सामने स्तंभ (7) प्रविष्ट (10)“धिरडी” के स्थान पर (10) “धिर्डी” एवं (11)“इमानगाव” के स्थान पर (11)“इमनगांव” अंतस्थापित की जाएगी।

iv) अनुसूचि में जिला बीड के सामने स्तंभ (6) प्रविष्ट तालुका “अष्टि” के स्थान पर “आष्टी”, अंतस्थापित की जाएगी।

v) स्तंभ (2) में, “कंपोटेंट अथारिटी ओफ लैंड एक्विजिशन - सब डिविजनल आफिसर, पटोडा” शब्दों के स्थान पर “सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, पाटोदा” रखे जाएंगे।

पाद टिप्पणी:- मुल अधिसूचना का.आ. 3168 (अ) तारीख. 11.07.2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग (II) खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 11.07.2022 को प्रकाशित की गई थी।

प्रस्तावित संरेखण के लिए भूमि अधिग्रहण योजना और मसौदा 3 (A) अधिसूचना की तैयारी के दौरान, यह पहचाना गया है कि सीएएलए का नाम, सात गांवों के नाम, और एक तालुका का नाम अनजाने में 3 (a) अधिसूचना में प्रकाशित किया गया है। S.O.3168 (E) दिनांक 11.07.2022 इसलिए, पूर्वगामी खंड में पहले की अधिसूचना में संशोधन करना आवश्यक है।

[फा. सं. NHAI/Ahmednagar/ASA/LA/2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd August, 2022

S.O. 3957(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Greenfield Highway in the State of Maharashtra. (The Highway starts from Ahmednagar connecting Beed, Osmanabad, and Solapur and terminating at Akkalkot-Karnataka border in the State of Maharashtra) S.O. 3168(E) dated 11th July 2022, Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated 11th July 2022, Namely:-

a) In the Schedule to the said Notification-

i) In the schedule, in front of District Ahmednagar, Taluka Ahmednagar, Column (7) in place of (5) "Madadgaon", (5)"Madadgaon", in place of (6) "Bhatodi Pargaon", (6)"Bhatodi Pargaon", and in place of (7)"Chichondi Patil", (7)"Chichondi Patil" shall be substituted.

ii) In the schedule, in front of District Ahmednagar, Taluka Jamkhed, Column (7) in place of (5) "Dislewadi", (5)"Disalewadi" and in place of (12) "Potewadi", (12)"Potewadi" shall be substituted.

iii) In the schedule, in front of District Beed, Taluka Ashti, Column (7) in place of (10) "Dhirdi", (10)"Dhirdi" and in place of (11)"Imangaon", (11)"Imangaon" shall be substituted.

iv) In the schedule, in front of the District Beed, Column No.6 in place of the entry Taluka "Ashti", "Ashti" shall be substituted.

v) In said notification Serial No 3 Column No.2 in place of “Competent Authority of Land Acquisition & Sub-Divisional officer, Patoda” the entry “Competent Authority and Sub-Divisional officer, Patoda” shall be substituted;

Footnote: The Principal Notification 3(a) Notification was published vide S.O. 3168 (E), dated the 11th July 2022, in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated 11th July 2022.

During the preparation of the land acquisition plan and draft 3(a) notification for the proposed alignment, it has been recognized that the name of the CALA, the names of seven villages, and the name of one taluka have been inadvertently published in the 3(a) notification . S.O.3168 (E) dated 11.07.2022 Therefore, it is necessary to amend the earlier notification in the foregoing clause.

[F. No. NHAI/Ahmednagar/ASA/LA/2022]
RAJESH GUPTA, Director